

दिल्ली में निजी स्कूलों के शुल्क नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कानून जनहित में, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नए कानून को मौजूदा शैक्षणिक सत्र में लागू किए जाने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और रेगुलेशन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य भले ही जनहित में हो, लेकिन इसे जल्दबाजी और पिछली तारीख से लागू करना व्यावहारिक और वित्तीय सम्मत्याएं पैदा कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि अदालत कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि शैक्षणिक वर्ष पहले ही शुरू हो चुका है और अब कम समय में समितियों का गठन और फीस निर्धारण करना अव्यवहारिक है। उन्होंने सवाल

उठाया कि जुलाई तक फीस को मंजूरी देने की समयसीमा भी समाप्त हो चुकी है, ऐसे में जल्दबाजी क्यों की जा रही है।

इस कानून को 10 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था, जिसमें तीन-स्तरीय समिति के माध्यम से फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने का प्रावधान है। इसके बाद 24 दिसंबर को जारी सर्कुलर में निजी स्कूलों को फीस रेगुलेशन समितियां गठित करने और प्रस्ताव जमा करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जनवरी को इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए समयसीमा बढ़ाई थी।

स्कूल प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह अधिनियम केंद्रीय कानून से टकराता है और इसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कानून को सही ठहराते हुए कहा कि ली जा रही फीस को प्रस्तावित माना जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इससे पूरी व्यवस्था और अधिक उलझ जाती है।

डीएसईयू की महिला व्याख्याता की शिकायत पर उत्पीड़न और वेतन देरी का मामला दर्ज

नई दिल्ली, 19 जनवरी (संवाददाता)।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) की एक महिला व्याख्याता की शिकायत पर उत्पीड़न, वेतन में देरी और सेवा रिकार्ड से छेड़छाड़ के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। यह एफआइआर सात जनवरी को द्वारका अदालत के आदेश पर द्वारका (दक्षिण) थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन वितरण का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद उन्हें बार-बार भुगतान में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे वह आर्थिक संकट में आ गई। उनका दावा है कि वेतन न मिलने के कारण ऋण की किशतें चूक गईं और भारी जुर्माना भरना पड़ा। महिला ने यौन और प्रशासनिक उत्पीड़न के साथ-साथ सेवा रिकार्ड को

नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है।

द्वारका अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करनी चाहिए। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2024 में उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिसे उन्होंने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया। बाद में आंतरिक जांच के बाद एक अक्टूबर 2024 को निलंबन रद्द कर दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी निजी फाइल और सेवा पुस्तिका क्षतिग्रस्त पाई गई, जिससे उनके भविष्य के रोजगार और सेवानिवृत्ति लाभों पर असर पड़ सकता है। डीएसईयू के कुलपति अशोक नागवत ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिकायत दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है और विश्वविद्यालय कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

धारदार हथियार से वार कर शख्स की हत्या, नहीं हो सकी शिनाख्त

नई दिल्ली, 19 जनवरी (संवाददाता)।

द्वारका उत्तरी थाना क्षेत्र स्थित पार्क में एक शख्स की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह उस वक्त मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खून से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने बताया कि उसके शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि लड़ाई-झगड़े के बाद उसकी हत्या की गई होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि मरने वाले की उम्र तकरीबन 25 से 30 के बीच है। फिलहाल

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वरुण को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय शाँप नं. 5, ए-42, प्रताप नगर, मयूर विहार फेज-1, दिल्ली 110091 में स्थित है, का शेयर प्रमाणपत्र सं. 15074, जिसकी तिथि सं. 074 से 074 तक है, खो गया है जिसे अंतिम बार हमारे द्वारा वर्ष 2022 में देखा गया था।

हम एतद द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों की अवधि के भीतर दावे या आपत्तियां (यदि कोई हो) आमंत्रित करते हैं। यदि इस अवधि के दौरान कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो हम डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
की ओर से और उनके लिए
हस्ता./- आवृत सिंघल
निगम सिंघल
473, वरुण अपार्टमेंट्स, सेक्टर-62, नोएडा-201309



रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi
ग्वालियर रोड, झांसी-284003 (उत्तर प्रदेश)
Gwalior Road, Jhansi-284003 (U.P.)

विज्ञापित

रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए दिनांक 11.03.2024 को प्रकाशित विज्ञापन, विज्ञापन संख्या RLBCAU/03/2024 में से कुछ पदों को प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखें।
The Advertisement No. RLBCAU/03/2024 dated 11.03.2024 for recruitment of various positions of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi is hereby cancelled for some posts due to administrative reasons. For more details kindly visit the university website.
कुलसचिव / Registrar



मुंबई पत्तन प्राधिकरण
निविदा आमंत्रण सूचना

मुंबई पत्तन प्राधिकरण के एककृत प्रवेश नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के काम के लिए 10 साल की अवधि के लिए राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर निविदा सं. एमईडी/ईडीपी/234/2025 आमंत्रित किया जाता है। निविदा की जानकारी एमबीपीए की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in और <https://gem.gov.in> पर उपलब्ध हैं।
मुख्य यांत्रिक अभियंता
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MbPA-42-2025



भारतीय कटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)
कोलकोता एलसी, एलएमआई न्यू एरबोरी मिडिल, एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, कोलकोता-700015

अतिरिक्त की अनिवार्यता (ई.ओ.आई.)
कोलकोता द्वारा एलएमआई/एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, कोलकोता-700015 में निर्माण-प्रचालन-इकाई (सी.ओ.टी.) बंदर के अग्रणी प्रकट गेट टर्मिनस (पी.ए.टी.) सुविधा के विकास और प्रबंधन हेतु गैर-प्राइवेटिजेशन के अतिरिक्त की अनिवार्यता (ई.ओ.आई.) अनिवार्य की जाती है, मध्यपूर्व विकास निगमद्वारा है।
ई.ओ.आई. सं. CON/AREA-VTC/P.F.T/DADRIE O U/2025-26
कार्य का नाम एलएमआई/एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, कोलकोता-700015 में निर्माण-प्रचालन-इकाई (सी.ओ.टी.) बंदर के अग्रणी प्रकट गेट टर्मिनस (पी.ए.टी.) सुविधा के विकास और प्रबंधन हेतु 'जैसा है वही है' अन्तर्गत पर 35,000 वर्ष बीकर के गुरुत्व की लौच पर देना
लौच की अवधि 28.03.2023 तक
ई.ओ.आई. का प्रस्ताव 20.01.2026 को 11.00 बजे
ई.ओ.आई. की शर्त 29.01.2026 को 15.00 बजे उपरोक्त पर
स्वीकृतियन अलॉट करने की तिथि 03.02.2026 को या उसके पश्चात केवल सेंट्रल पब्लिक प्रोक्विमेंट पोर्टल (सीपीपी) तथा कोलकोता वेबसाइट पर
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि व समय 10.02.2026 तक (15.00 बजे तक)
संपूर्ण पत्रिका वेबसाइट www.concorindia.co.in या egprocure@gov.in पर उपलब्ध है। एलएमआई न्यू एरबोरी रोड, कोलकोता-700015 में निर्माण-प्रचालन-इकाई (सी.ओ.टी.) बंदर के अग्रणी प्रकट गेट टर्मिनस (पी.ए.टी.) सुविधा के विकास और प्रबंधन हेतु 'जैसा है वही है' अन्तर्गत पर 35,000 वर्ष बीकर के गुरुत्व की लौच पर देना
मुख्य यांत्रिक अभियंता
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.)



Hannah Joseph Hospital
(Institute of Neurosciences & Trauma)

Hannah Joseph Hospital Limited

(formerly Hannah Joseph Hospital Private Limited)

Our Company was incorporated as "Hannah Joseph Hospital Private Limited" at Tamil Nadu as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated October 24, 2011, issued by the Registrar of Companies ("ROC"), Tamil Nadu, Chennai, Andaman and Nicobar Islands Subsequently, our Company was converted to a public limited company and the name of our Company changed to "Hannah Joseph Hospital Limited" and a fresh certificate of incorporation dated July 29, 2022 was issued by the RoC, Chennai. The CIN of our Company is U74999TN2011PLC082860. For details in relation to changes in the registered office of our Company, see "**History and Corporate Structure**" on page no. 152 of the Red Herring Prospectus.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: Mosesjoseph Arunkumar, Fenn Kavitha Fenn Arunkumar, Arunkumar Nalina and Noyel Arunkumar

PRICE BAND: ₹ 67 TO ₹ 70 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH

ALLOCATION OF THE OFFER
QIB PORTION NOT MORE THAN 50% OF THE NET ISSUE • INDIVIDUAL INVESTOR PORTION NOT LESS THAN 35% OF THE NET ISSUE
NON-INSTITUTIONAL PORTION NOT LESS THAN 15% OF THE NET ISSUE • MARKET MAKER PORTION NOT LESS THAN 5% OF THE NET ISSUE
THE FLOOR PRICE IS 6.7 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 7 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON RESTATED DILUTED EPS FOR FISCAL 2025 AT THE FLOOR PRICE IS 15.51 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 16.2 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 4000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE ISSUE AVAILBLE IN ANY MANNER.

CORRIGENDUM TO ADVERTISEMENT DATED JANUARY 19, 2026: NOTICE TO INVESTORS (THE "CORRIGENDUM")

This is with reference to the Advertisement published on January 19, 2026 in Financial Express on Page no. 14 & 15, Makkal Kural on Page no. 4 & 5 and Jansatta on Page no. 12 & 13.

The attention of investors is drawn to the following:

BID Size is to be read as under:

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 4000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2000 EQUITY SHARES THEREAFTER

BID / ISSUE PROGRAMME	ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026*
	BID / ISSUE OPENS ON: THURSDAY, JANUARY 22, 2026 BID / ISSUE CLOSSES ON TUESDAY, JANUARY 27, 2026*

* The Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/Issue Opening Date. *The UPI mandate end time and date shall be at 5:00 p.m. on the Issue Closing Day i.e., January 27, 2026.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the information of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section "**Risk Factors**" on page no. 26 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<div>CAPITALSQUARE® Teaming together to create value</div> <div>CapitalSquare Advisors Private Limited Address: 208, 2nd Floor, AARPEE Centre, MIDC Road No.11, CTS70, Andheri - East, Mumbai - 400093 (India) Contact No: 022 6684 9999/ 022 6684 9946 Email: mb@capitalsquare.in Website: www.capitalsquare.in Contact Person: Viveka Singhal / Pratima Keshari SEBI Registration number: INM000012219 CIN: U65999MH2008PTC187863</div>	<div>Bigshare Services Private Limited Address: Office no S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India Contact No: +91 - 22 - 6263 8200; Email: ipo@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Mr. Vinayak Morbale SEBI Registration number: INR000001385 CIN: U99999MH1994PTC076534</div>	<div>Hannah Joseph Hospital (Institute of Neurosciences & Trauma)</div> <div>Yuvraj Saravanan Hannah Joseph Hospital Limited 134, Lake View Road K. K. Nagar, Madurai, Tamil Nadu, India, 625020 Tel. No: +91- 9524729594 Website: https://hannahjosephhospital.com/ E-mail: cs@hannahjosephhospital.com</div> <div>Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.</div>

On behalf of Board of Directors
Hannah Joseph Hospital Limited
Sd/-
Mr. Mosesjoseph Arunkumar
Chairman and Managing Director

Disclaimers: Hannah Joseph Hospital Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated January 14, 2026 has been filed with the Registrar of Companies ("ROC"), Chennai. The Red Herring Prospectus is available on the website of the Book Running Lead Manager at www.capitalsquare.in in the website of the BSE i.e., www.bseindia.com, and website of our Company at: <https://hannahjosephhospital.com/>.

Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "**Risk Factors**" beginning on page 26 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

KIRIN ADVISORS

epaper.jansatta.com